

DR-19

05-7-21

कुल सचिव का कार्यालय  
आका प्राप्ति  
संख्या 122  
दि 3-7-2021  
लखनऊ विश्वविद्यालय  
लखनऊ-226007



राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ-226027

संख्या : ई-4229/जी0एस0  
दिनांक 02, जुलाई 2021  
आदेश

प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 'साक्षात्कार में पारदर्शिता' लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया निर्धारण विषयक आदेश संख्या: ई-3019/32-जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 निर्गत किया गया है। इस विषय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों की माह जून, 2021 में की गयी समीक्षा के दौरान इस आदेश पर विस्तृत चर्चा की गयी। विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो व्यवहारिक एवं विधिसम्मत सुझाव प्राप्त हुए, उसके आलोक में पूर्व पारित आदेश की व्यवस्थाओं में निम्नवत् आंशिक संशोधन/स्पष्टीकरण निर्गत किया जाता है:-

अ-सहायक आचार्य:-

1. सहायक आचार्य के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया के दो चरण होंगे। पहला चरण Short-listing का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1190/सत्तर-1-2019-16(114)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन संख्या-F.1-2/2017(EC/PS), दिनांक 18 जुलाई, 2018 को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त रेगुलेशन के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बेसिक अकादमिक स्कोर तथा ए0पी0आई0 स्कोर की गणना अलग नहीं की जायेगी, वरन् उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स-II के Table-3A में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया से विरोधाभासी हों तो विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों की व्यवस्था के अनुसार गणना की जायेगी।
3. पूर्व आदेश में विभिन्न अभ्यर्थियों के विषय की जानकारी (Domain Knowledge) के लिए 20 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा की व्यवस्था रखी गयी थी। उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स-II के Table-3A में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना के अनुपात में ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा अब 40 अंकों की होगी।
4. Table-3A के अनुसार स्कोर की गणना से प्राप्त अंक तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर एक समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
5. गणना तथा लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार संशोधन/स्पष्टीकरण के साथ पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में संवीक्षा समिति, अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने तथा परीक्षा संचालन आदि सम्बन्धी शेष व्यवस्थाएँ यथावत् रहेंगी।
6. उपरोक्तानुसार तैयार की गयी मेरिट लिस्ट से पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार अभ्यर्थियों की Short-listing की जायेगी और उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

D.R.(D)

Ray  
03/7/21

DS-T

Ray  
05/07/2021

Registrar/Dean RAE

Short-listing के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त रेगुलेशन में दी गयी व्यवस्था के आलोक में Short-listed अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की कार्यवाही दो भागों में की जायेगी। प्रथम भाग में शिक्षण कौशल की जानकारी का परीक्षण किया जायेगा तथा द्वितीय भाग में साक्षात्कार

सम्पन्न कराया जायेगा। यह कार्यवाही पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पन्न होगी।

ब-सह आचार्य एवं आचार्य:-

1. सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया के दो चरण होंगे। पहला चरण Short-listing का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1190/सत्तर-1-2019-16(114)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन संख्या-F.1-2/2017(EC/PS), दिनांक 18 जुलाई, 2018 को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त रेगुलेशन के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बेसिक अकादमिक स्कोर तथा ए0पी0आई0 स्कोर की गणना अलग नहीं की जायेगी, वरन् उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स-II के Table-2 में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया से विरोधाभासी हों तो विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपरोक्तानुसार गणना उपरान्त एक समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
4. विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि काफी अधिक है तो कुलाधिपति के आदेश संख्या: ई-3019/32-जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार Short-listing की जायेगी तथा आगे की कार्यवाही उक्त आदेश दिनांक 18 मई, 2021 के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

अन्य निर्देश

इस प्रकार सीधी भर्ती के प्रकरणों में 2 से अनधिक अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी जिसकी वैधता अवधि परिणाम की घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

Anand-patel

( आनंदीबेन पटेल )

कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
3. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा
4. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
5. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
7. कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा
8. कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
9. कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
10. कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली
11. कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
12. कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
13. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
14. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
15. कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
16. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
17. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
18. कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
19. कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
20. कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
21. कुलपति, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
22. कुलपति, उ0प्र0 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
23. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 कैम्पस सीतापुर रोड लखनऊ
24. कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड लखनऊ
25. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत-विश्वविद्यालय, लखनऊ
26. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
27. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
28. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
29. निदेशक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड, लखनऊ
30. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ



( महेश कुमार गुप्ता )  
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश  
लखनऊ-226027

SPEED POST

पत्रांक : ई- 5862 /जी0एस0  
दिनांक : 03, सितम्बर, 2021

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,  
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,  
लखनऊ।

महोदय,

विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के बारे में मा0 कुलाधिपति के आदेश दिनांक 18 मई, 2021 तथा दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बारे में कृपया अपने पत्र संख्या:अ0क0प्रा0वि0/कुप0का0/2021/11957, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र में आपके द्वारा निम्न बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा गया है:-

"..... सहायक आचार्य/सह आचार्य एवं आचार्य अन्तिम चयन :

- "प्रथम चरण-{Basic Academic Score एवं API+लिखित परीक्षा (100+40)/Basic Academic Score एवं API}" तथा "द्वितीय चरण-साक्षात्कार", के दोनों चरणों के अंकों के योग के आधार पर किया जाना है।

अथवा

- केवल "द्वितीय चरण-साक्षात्कार" के आधार पर ही किया जाना है एवं "प्रथम चरण-{Basic Academic Score एवं API+लिखित परीक्षा (100+40)/Basic Academic Score एवं API}" Shortlisting हेतु होगा।"

उपरोक्त जिज्ञासा के कम में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

1. आदेश दिनांक 02 जुलाई, 2021 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि सहायक आचार्य/सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर चयन की प्रक्रिया के दो चरण होंगे। प्रथम चरण शार्टलिस्टिंग का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का होगा।

2. पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-अ के 2, 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सहायक आचार्य के सन्दर्भ में शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया 140 अंकों के आधार पर होगी। शार्टलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का शिक्षण कौशल की जानकारी (कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी तथा कक्षा के समक्ष प्रस्तुतीकरण) 20 अंकों की तथा साक्षात्कार 10 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 30 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 30 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टलिस्टिंग के लिए निर्धारित 140 अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
3. पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-ब के 2, 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सह आचार्य एवं आचार्य के सन्दर्भ में शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। शार्टलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 20 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 20 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टलिस्टिंग के लिए निर्धारित अंक नहीं जोड़े जायेंगे।

भवदीय,



( महेश कुमार गुप्ता )  
अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल।

ok

प्रतिलिपि कुलपतिगण, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, निदेशक, संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



( डा0 पंकज एल0 जानी )  
विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा श्री राज्यपाल।

ok

## राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-226027

संख्या ई-3019 / 32-जी0एस0 / 2020.

दिनांक: 18, अप्रैल, 2021.  
नर

### आदेश

विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 'सक्षात्कार में पारदर्शिता' के संदर्भ में दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को कुलाधिपति की अध्यक्षता में कतिपय विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के साथ चर्चा हुई थी। उक्त चर्चा के क्रम में सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने के लिए बैठक में प्रकाश में आये सभी बिन्दुओं पर विचार करके कुलपतिगण की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सामान्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के 05 कुलपतिगण सम्मिलित किये गये थे। इस समिति की बैठक दिनांक 09 फरवरी, 2021 को आहूत की गयी थी। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की गयी। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 'सक्षात्कार में पारदर्शिता' लाने के उद्देश्य से निम्न प्रक्रिया अपनाने हेतु निदेशित किया जाता है:-

### अ- सहायक आचार्य:-

- 1) सहायक आचार्य पद हेतु सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में निम्न प्रकार से गुणानुक्रम निश्चित होगा:-

(i)	स्नातक/स्नातकोत्तर/एम0फिल0 तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score)	20 अंक
(ii)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर (चिकित्सा/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा आदि विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय की नियामक संस्था द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर की गणना की जायेगी। यदि नियामक संस्था द्वारा कोई निर्देश नहीं है तो उस दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था मान्य होगी)	30 अंक
(iii)	विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा	20 अंक
(iv)	शिक्षण कौशल की जानकारी (ऑनलाइन कक्षाओं आदि के लिए कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी तथा कक्षा के समक्ष	20 अंक

	प्रस्तुतीकरण)	
(v)	साक्षात्कार	10 अंक
	सकल पूर्णांक	100 अंक

- 2) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच तथा उसमें वर्णित विवरण के अनुसार Basic Academic Scores तथा API Score की गणना सुनिश्चित करेगी। इस समिति को "संवीक्षा समिति" (Scrutiny Committee) कहा जायेगा।
- 3) बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score) की गणना संलग्नक-1 के अनुसार होगी।
- 4) सभी प्रकार के गुणांकों Basic Academic Scores तथा API Score को इनकी गणना करके तुरन्त प्रकाशित किया जायेगा और इनके संबंध में आपत्तियों आमन्त्रित की जायेंगी। आपत्तियों प्राप्त करने हेतु 07 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियों ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी और इसके लिए रिक्त पदों के विज्ञापन के समय ही एक ई-मेल आईडी0 प्रकाशित की जायेगी। निर्धारित अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित गुणांक प्रकाशित किया जायेगा। यह कार्य "संवीक्षा समिति" द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
- 5) सभी अभ्यर्थियों का डोमेन नॉलेज (Domain knowledge) का आंकलन करने के लिए आब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा का आयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें पूरी पारदर्शिता हो और परीक्षा आयोजन के तत्काल बाद यथा सम्भव उसी दिन इसका परिणाम घोषित किया जाये। प्राप्तांक तत्काल प्रकाशित किया जायेगा और इसके सम्बन्ध में भी आपत्तियों आमन्त्रित की जायेंगी। आपत्तियों प्राप्त करने हेतु 03 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियों ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित प्राप्तांक प्रकाशित किया जायेगा। परीक्षा आयोजित करने के लिए कुलपति के पर्यवेक्षण में विश्वविद्यालय का परीक्षा नियन्त्रक उत्तरदायी होगा।
- 6) Basic Academic Scores, API Score तथा लिखित परीक्षा के समेकित स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा एक मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
- 7) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा इस मेरिट लिस्ट से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के आधार पर अग्रिम चरणों के लिए shortlisting की जायेगी।
- 8) उपरोक्तानुसार shortlisted अभ्यर्थियों की Teaching Skills की परीक्षा ली जायेगी। इस हेतु shortlisted अभ्यर्थियों को नियत तिथि पर आमन्त्रित किया जायेगा तथा प्रत्येक को एक विषय दिया जायेगा जिस पर उनके द्वारा एक Power Point Presentation तैयार करना होगा और उसके आधार पर 15-20 छात्रों की उपस्थिति में विषय का प्रस्तुतीकरण करना होगा। Power Point Presentation तैयार करने की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सम्पादित की जायेगी।

- 9) तदुपरान्त चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी और साक्षात्कार के तुरन्त बाद परिणाम बन्द लिफाफे में कुलपति को सौंप दिया जायेगा।
- 10) Teaching Skills तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया की ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और इसे कम से कम 03 महीने सुरक्षित रखने का दायित्व कुलपति का होगा।

#### **ब- सह आचार्य एवं आचार्य**

- 1) सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विभिन्न विषयों में निम्नानुसार गुणानुक्रम होगा :-


(i)	स्नातक/स्नातकोत्तर/एम0फिल0 तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score)	20 अंक
(ii)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर (चिकित्सा/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा आदि विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय की नियामक संस्था द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर की गणना की जायेगी। यदि नियामक संस्था द्वारा कोई निर्देश नहीं हैं तो उस दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था मान्य होगी)	60 अंक
(iii)	साक्षात्कार	20 अंक
<b>पूर्णांक</b>		<b>100 अंक</b>

- 2) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच तथा उसमें वर्णित विवरण के अनुसार Basic Academic Scores तथा API Score की गणना सुनिश्चित करेगी। इस समिति को "संवीक्षा समिति" (Scrutiny Committee) कहा जायेगा।
- 3) बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score) की गणना संलग्नक-1 के अनुसार होगी।
- 4) सभी प्रकार के गुणांकों Basic Academic Scores तथा API Score को इनकी गणना करके तुरन्त प्रकाशित किया जायेगा और इनके संबंध में आपत्तियाँ आमन्त्रित की जायेंगी। आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु 07 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियाँ ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी और इसके लिए रिक्त पदों के विज्ञापन के समय ही एक ई-मेल आई0डी0 प्रकाशित की जायेगी। निर्धारित अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित गुणांक प्रकाशित किया जायेगा। यह कार्य "संवीक्षा समिति" द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
- 5) Basic Academic Scores तथा API Score के समेकित स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा एक मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
- 6) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा इस मेरिट लिस्ट से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के आधार पर अग्रिम चरणों के लिए shortlisting की जायेगी। shortlisted अभ्यर्थियों को नियत तिथि पर साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।
- 7) चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी और साक्षात्कार के तुरन्त बाद परिणाम बन्द लिफाफे में कुलपति को सौंप दिया जायेगा।



- 8) साक्षात्कार की प्रक्रिया की ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और इसे कम से कम 03 महीने सुरक्षित रखने का दायित्व कुलपति का होगा।

सभी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया (एमसीआई), आल इण्डिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई), इण्डियन काउंसिल फार एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर), रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया (आरसीआई) आदि विभिन्न नियामक संस्थाओं (Regulatory Bodies) के दिशा-निर्देशों/नियमों का उल्लंघन न होने पाये तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णरूपेण पारदर्शी बनी रहे।

  
( आनंदीबेन पटेल )  
कुलाधिपति

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
3. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा
4. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
5. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
7. कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा
8. कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
9. कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
10. कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली
11. कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
12. कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
13. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
14. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
15. कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
16. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
17. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
18. कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
19. कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
20. कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
21. कुलपति, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
22. कुलपति, उ0प्र0 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
23. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 कैम्पस सीतापुर रोड लखनऊ
24. कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ
25. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत-विश्वविद्यालय, लखनऊ
26. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
27. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
28. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
39. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड, लखनऊ
30. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ

**( महेश कुमार गुप्ता )**

कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक-1

उपाधि	प्राप्तांक प्रतिशत में	प्राप्तांक
स्नातक	48% से कम प्राप्तांक	शून्य
	48% या उससे अधिक किंतु 55% से कम	03 अंक
	55% या उससे अधिक किंतु 60% से कम	04 अंक
	60% या उससे अधिक किंतु 65% से कम	05 अंक
	65% या उससे अधिक किंतु 70% से कम	06 अंक
	70% या उससे अधिक	07 अंक
परास्नातक	55% से कम प्राप्तांक	शून्य
	55% या उससे अधिक किंतु 60% से कम	04 अंक
	60% या उससे अधिक किंतु 65% से कम	05 अंक
	65% या उससे अधिक किंतु 70% से कम	06 अंक
	70% या उससे अधिक किंतु 75% से कम	07 अंक
	75% या उससे अधिक किंतु 80% से कम	08 अंक
	80% या उससे अधिक किंतु 90% से कम	09 अंक
	90% या उससे अधिक	10 अंक
एम0फिल0	यदि एम0फिल0 है तो	03 अंक
	यदि एम0फिल0 नहीं है तो	शून्य



संख्या : ई- 2385 / जी0एस0  
दिनांक : 28 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञाप

कृपया मा0 कुलाधिपति के आदेश संख्या : ई-3019/32-जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 एवं सपठित आदेश संख्या : ई-4229/जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अभी कुछ दिन पूर्व विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के बारे में प्रगति की समीक्षा भी मा0 कुलाधिपति द्वारा की गई थी।

बहुधा यह शिकायतें प्राप्त होती हैं कि विश्वविद्यालयों/संस्थान में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रिश्तेदारों का चयन कर लिया जाता है या विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्व से संविदा/एस0एफ0आई0 या अन्य तरीके से रखे गये कार्यरत शिक्षकों का चयन कर लिया जाता है।

इस आशय की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लिखित परीक्षा के लिये बाह्य एजेन्सियों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हीं से प्रश्न पत्र भी बनवाये जाते हैं।

उक्त शिकायतों के आलोक में बैठक में चर्चा के उपरान्त मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि

1. शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
2. आवेदन पत्र में अन्य विषयों के साथ-साथ आवेदक से इस आशय की उद्घोषणा करायी जाये कि
  - a) उसकी विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक/संविदा/अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक किसी अधिकारी/कर्मचारी से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रिश्तेदारी नहीं है।
  - b) यदि विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक/संविदा/अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कोई भी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी उसका कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रिश्तेदार है तो वह अधिकारी/कर्मचारी कौन है और उसका आवेदक से क्या संबंध है।
  - c) यदि आवेदक विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक/संविदा/अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से ही कार्यरत है तो उसका भी अलग से उल्लेख करे

कि वह वर्तमान में किस पद पर, किस व्यवस्था के अंतर्गत और कब से कार्यरत है।

3. उद्घोषणा की यह व्यवस्था भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापनों के संदर्भ में लागू होगी। पूर्व विज्ञापित पदों के बारे में यह व्यवस्था नहीं लागू होगी।
4. ऐसे आवेदक जो विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक/संविदा/अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत किसी भी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी के प्रत्यक्ष या परोक्ष रिश्तेदार हैं अथवा जो विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक/संविदा/अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से ही कार्यरत हैं, उनका पूरा विवरण भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विश्वविद्यालय के वेबसाइट/भर्ती पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किया जायेगा।
5. वर्तमान में प्रचलित सभी प्रकार की भर्ती के संदर्भ में चयन प्रक्रिया का अन्तिम परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान की कार्य परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर/सक्षम बॉडी से अनुमोदित कराते समय कुलपति/निदेशक तथा रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित विवरण लिखित रूप से एजेण्डा और कार्यवृत्त में समाहित करके कार्य परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर/सक्षम बॉडी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा:-
  - a) इस आशय का प्रमाण पत्र कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया सम्बन्धी उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया गया है।
  - b) यदि चयनित अभ्यर्थी में कोई ऐसा अभ्यर्थी चयनित हुआ है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुलपति/निदेशक या विश्वविद्यालय/संस्थान में कार्यरत पूर्णकालिक कर्मी, संविदा कर्मी या अन्य किसी प्रकार के किसी कर्मी का कोई सम्बन्धी (रिश्तेदार) है तो उसका पूर्ण विवरण।
  - c) यदि चयनित अभ्यर्थी में कोई ऐसा अभ्यर्थी का चयन हुआ है जो उसी विश्वविद्यालय/संस्थान में पहले से कार्यरत हो, तो उसका पूर्ण विवरण।
6. प्रस्तर-5 में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन 01 जून 2021 के बाद से सम्पन्न समस्त भर्ती/चयन प्रक्रिया के संदर्भ में किया जायेगा।
7. जिन विश्वविद्यालयों/संस्थान में भर्ती/चयन परिणाम घोषित हो चुके हैं उनके बारे में भी प्रस्तर-5 की जानकारी विश्वविद्यालय/संस्थान की कार्य परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर/सक्षम बॉडी के समक्ष आगामी 31 मई, 2022 से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।
8. आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि "लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए कुलपति के पर्यवेक्षण में विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक उत्तरदायी होगा।" इसका आशय यह है कि
  - a) जिस प्रकार विश्वविद्यालय/संस्थान में अपनी परीक्षाये परीक्षा नियंत्रक द्वारा सम्पन्न करायी जाती हैं, उसी प्रकार भर्ती के लिये भी परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- b) जिस प्रकार विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की परीक्षाओं के लिये प्रश्न पत्र आदि अपनी आन्तरिक teaching faculty से बनवाकर परीक्षा सम्पन्न करायी जाती है उसी प्रकार की व्यवस्था भर्ती के लिये भी सुनिश्चित की जाये।
- c) बाह्य एजेन्सियों से प्रश्न पत्र आदि न बनवाया जाये।
9. यह आदेश माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

( महेश कुमार गुप्ता )  
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि समस्त कुलपति/निदेशक, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( हेमन्त कुमार चौधरी )  
कुलाधिपति के उप सचिव।